सहारा की प्रतिक्रिया
सेबी के गैरजिम्मेदाराना ग़लत एकपक्षीय आदेश के खिलाफ़ जिसने हमें दुःखद अचम्भे में डाल दिया है।

यद्यपि एक संस्था के तौर पर सेबी अत्यधिक जिम्मेदार और देश के सम्मानित नियंत्रकों में से एक है। लेकिन जिम्मेदार संस्थाओं में पदासीन कुछ विशेष व्यक्ति दुर्भावना और पक्षपातपूर्ण दृष्टि से काम करते हैं जिससे जनता का कोई भला नहीं होता और इसके विपरीत वे संस्था का नाम बदनाम करते हैं।

कम्पनी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत कम्पनी रजिस्ट्रार ने गैर सूचीबद्ध कम्पनियों, *सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SIRECL)* और *सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (SHICL)* को हमारे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पर आधारित वैकल्पिक तौर पर पूर्ण परिवर्तनीय डिवेन्चर्स जारी करने के लिए विधिक तौर पर अनुमति प्रदान की है। हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कम्पनी अधिनियम की धारा 67(3) के प्रथम उपबन्ध के नवीनतम प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) के प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया गया है।

दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे अधिकारी जो सहारा इंडिया परिवार के प्रति दुर्भावना रखते हैं, लगातार अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वाह नहीं करते हुए इस हद तक चले गये कि उन्होंने आदेश को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया बजाय इसके कि वे यह आदेश सीधे कम्पनी को देते। इससे स्पष्ट है कि उनका इरादा सनकपूर्ण तरीके से कम्पनी को क्षति पहुंचाने तथा इसके शुभचिन्तकों और निवेशकों को परेशान करने का था ताकि वे कम्पनी से न जुड़ें।

विगत दिनों सेबी (सिक्योरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने इन्श्योरेंस रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDA) के साथ विवाद खड़ा किया था और अब हमें निर्देश दे रहा है कि हम बांड (OFCD) जारी करना बन्द कर दें। यह निर्देश वह वास्तविक नियंत्रक एम.सी.ए. (मिनिस्टरी ऑफ कम्पनी अफेयर) से एक शब्द की सलाह लिये बिना जारी कर रहा है जबकि एम.सी.ए. ने हमें बांड जारी करने की अनुमति प्रदान की है।

नोट : मीडिया ने भी इस बात को गलतफहमी में व्याख्यायित किया है कि सेबी ने मेसर्स सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड आईपीओ को निरस्त कर दिया है।

सेबी हमसे OFCDs के बारे में जानकारी मांग रहा था। हमने हर बार जवाब दिया कि यह मामला निश्चित तौर पर सेबी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सेबी और एमसीए जैसी दो सरकारी नियंत्रक संस्थाओं के बीच के विवाद में हमें शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए।

हमने सेबी को विधिक राय के साथ प्रतिवेदन दिया था कि OFCD निश्चित तौर पर सेबी का मामला नहीं है और यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ए. एम. अहमदी; सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, मुंबई के पूर्व पीठासीन अधिकारी श्री सी. अच्युतन; उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एस.पी. कुर्दुकर; मुंबई उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री ए.के. मनमाधन और अधिवक्ता एवं कॉर्पोरेट विधिक सलाहकार श्री यू.पी. माथुर (कम्पनी लॉ बोर्ड के पूर्व सचिव तथा कम्पनी मामलों के विभाग में पूर्व निदेशक, निरीक्षण और जाँच) जैसे पांच प्रख्यात विधि विशेषज्ञों द्वारा दी गयी इस राय को स्पष्ट तौर पर सेबी में प्रस्तुत किया गया है।

केवल यही नहीं, सेबी ने कल्पना भण्डारी एवं अन्य बनाम सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) एवं अन्य 2004 (1) BomCR 663, 2005 125 CompCas 804 Bom के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, बाम्बे द्वारा दिये गये एक फैसले का संज्ञान न लेकर माननीय उच्च न्यायालय के प्रति गहरी अवमानना प्रदर्शित की है। इस फैसले में कहा गया था कि *"सेबी को (i) सूचीबद्ध पब्लिक कम्पनियों के बारे में और (ii) उन पब्लिक कम्पनियों के बारे में जो भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराना चाहती हैं, के मामले में अधिकार है। दूसरे शब्दों में, जो पब्लिक कम्पनियाँ सूचीबद्ध नहीं हैं और भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने की इच्छुक नहीं हैं ऐसी पब्लिक कम्पनियों के लिए धारा 55-A में दिये गये विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभूतियां जारी करने और उनका ट्रांसफर करने और लाभांश के गैर-भुगतान के संबंध में सेबी को कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार केन्द्र सरकार के पास है।"*

नोट : संबंधित सहारा कम्पनियां न तो सूचीबद्ध हैं और न सूचीबद्ध होने का उनका इरादा है।

सेबी ये सारे गैर-जिम्मेदाराना कार्य कुछ निराधार (बेनामी भी) शिकायतों के आधार पर कर रहा है। हमने सेबी से बार-बार आग्रह किया कि वह हमें शिकायतकर्ता का नाम व पता बताये। लेकिन सेबी ने हमें इसके बारे में सूचित करने से इन्कार कर दिया। हाल ही में हमारे विरुद्ध शिकायत का मुख्य मामला मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। हमें कभी-कभी ऐसे बहुत ही अवांछित लालची व्यक्तियों की ओर से शिकायतों की समस्या का सामना करना पड़ता है जो हमसे अच्छा खासा धन वसूल करना चाहते हैं लेकिन हमने ऐसे लोगों को कभी भी पास नहीं आने दिया है।

सेबी ने अपने आदेश में एमसीए की वेबसाइट से प्राप्त की गयी विविध सूचनाओं को उद्धृत किया है। इससे हमारी कम्पनी के इस पक्ष की पुष्टि होती है कि अधिनियम के अन्तर्गत माँगी गयी जानकारियाँ उचित नियंत्रक यानी एमसीए को सौंप दी गयी हैं। इसके अलावा जब कम्पनी ने सेबी से अपील की थी कि वह एमसीए का निर्देश प्राप्त होने तक इंतजार करे और इसके लिए अनावश्यक लम्बा समय भी नहीं गुजरा था तब सेबी की यह कार्रवाई पक्षपातपूर्ण तरीके से जल्दी में की गयी प्रतीत होती है। कारण प्रत्यक्ष दिखते हैं। लेकिन उनके उल्लेख के लिए हमारे पास कोई लिखित आधार नहीं है। स्पष्ट है कि सेबी ने सभी विधिक रायों और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पूरी तरह उपेक्षा की है। उसने ऐसा क्यों किया, यह सिर्फ उसे ही पता है।

सेबी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया यह थी कि हम उसके द्वारा मांगी गयी सारी सूचनाएं उसे उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हमें आश्चर्य होता है कि उसने ये सूचना हमसे क्यों मांगी, कम्पनी मामलों के मंत्रालय से क्यों नहीं मांगी? कृपया 30 सितंबर 2010 को हमारे द्वारा सेबी को लिखे गये हमारे विस्तृत पिछले पत्र के इस अंश को देखें जो स्पष्ट बताता है कि हमने ये सूचनाएं उन्हें क्यों नहीं दी।

"एक बार हमारा फिर आपसे विनम्र निवेदन है कि ये सारी जानकारियां कम्पनी मामलों के मंत्रालय से प्राप्त करें जो इस मामले का नियंत्रक है। नियंत्रकों के बीच अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद हो सकते हैं। जैसे कि हाल ही में सेबी और IRDA के बीच हुआ था। तथापि, हमारे जैसे व्यवसाय और उद्योग को आपसी विवाद में नहीं घसीटा जाना चाहिए, जैसा कि हमारे साथ इस समय हो रहा है। इसलिये कृपया नियंत्रक की दृष्टि में यानी कि एमसीए की दृष्टि में हमारी कम्पनी को एक अवज्ञाकारी कम्पनी न बनाया जाये। जब हमारी ग्रुप कम्पनी की डिपॉजिट मोबिलाइजेशन गतिविधि (RNBC) के बारे में सेबी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से सूचना प्राप्त की जा सकती है तो बाण्ड्स (OFCD) के बारे में एमसीए से सूचना क्यों नहीं प्राप्त की जा सकती है।

सेबी के अन्दर के लोगों से प्राप्त भीतरी जानकारी यह बताती है कि अगर हम सारी सूचनाएं स्वयं सेबी को देंगे तो सेबी सहारा के विरुद्ध मीडिया के माध्यम से सहारा संस्थापनों को परेशान करने के लिए कार्रवाई करेगा। यदि सेबी एमसीए से सारी सूचनाएं प्राप्त करता है तो वह सहारा के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर पायेगा। निश्चित तौर पर सेबी को पता है कि उसका यह कार्य गलत और मनमाना है जो कानूनी सुनवाई में कहीं नहीं टिकेगा। लेकिन सेबी सहारा को अस्थिर करने के लिए मीडिया ट्रायल खड़ा कर देगा। उपरोक्त बातों की इस तथ्य से पुष्टि होती है कि सेबी एमसीए से सूचनाएं नहीं ले रहा है और कम्पनी से ही सूचना प्राप्त करने का आग्रह कर रहा है। हमने हमेशा सेबी से अनुरोध किया कि कृपया एमसीए से सूचना प्राप्त करें।

हम सेबी पर आरोप नहीं लगाना चाहते हैं जो कि निश्चित तौर पर एक सम्मानित संस्था है। और हम ऐसी संस्था के रूप में सेबी का पूरा सम्मान करते हैं। हां, कभी-कभी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना किसी कारण के अतार्किक और निराधार तरीके से पक्षपाती हो जाते हैं और अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। निश्चित तौर पर हम इससे क्षुब्ध हैं।

हम वह संस्था हैं जहां 9 लाख परिवार अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं। कृपया हमें अकारण और अनावश्यक तौर पर परेशान मत करिये। कृपया गुणात्मकता के आधार पर हमें सहयोग और शुभकामना दें।"

विगत में भी हमने नियंत्रकों के ऐसे पक्षपातपूर्ण रवैये का सामना किया है। इसलिए हम बहुत आशंकित थे और इस पक्षपातपूर्ण आदेश के बाद हमारी आशंका अब सही साबित हो रही है।

सेबी ने ₹4-7 हजार करोड़ की बात की है जो हमने बांड (OFCD) इत्यादि के माध्यम से प्राप्त किये हैं। भ्रमवश बहुत से समाचार पत्र आदि ने लगभग ₹20,000 करोड़ तथा ₹20,000 करोड़ से अधिक आदि का उल्लेख किया है। इसलिए..

..आपको सहारा की वित्तीय स्थिति जानना उचित होगा

(30 जून 2010 तक के प्रॉविजनल)

ग्रुप देनदारी विवरण

₹ करोड़ में

विवरण	बुक वैल्यू
कुल बकाया देनदारी ब्याज सहित - पब्लिक डिपॉजिट + बैंकों से लिया गया अनसिक्योर्ड लोन + निकट एसोसिएट्स से लिया गया धन + विभिन्न परियोजनाओं के विरुद्ध ली गयी अग्रिम राशि + जीवन बीमा पॉलिसी धारक कोष +म्युचुअल फण्ड का धन	**34,328**

ग्रुप परिसम्पत्ति विवरण

₹ करोड़ में

विवरण	बुक वैल्यू	मार्केट वैल्यू
लिक्विड इन्वेस्टमेंट, कैश एण्ड बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट्स इत्यादि।	19,390	19,456
सण्ड्री डेब्टर्स, लोन एवं एडवान्सेज, टैक्स रिफण्डेबुल एवं अन्य करेण्ट असेट्स आदि।	7,629	7,629
भूमि, जारी निर्माण कार्य, फिनिश्ड स्टॉक और अचल परिसम्पत्तियां इत्यादि।	27,949	82,139
कुल ग्रुप परिसम्पत्तियां	**54,968**	**1,09,224**

नोटः उपरोक्त विवरण सहारा की फ्लैगशिप ग्रुप कम्पनियों के 31.03.2010 या 30.06.2010 तक के प्रॉविजनल बैलेंस शीट पर आधारित है।

हम पूरी तरह कानून का पालन करने वाली संस्था हैं, इसलिए नहीं कि हम कानून से डरते हैं बल्कि इसलिए कि हम देश के कानून का सम्मान करते हैं।

अब हम सेबी की कार्रवाई के विरुद्ध शीघ्र ही उचित फोरम में अपील करेंगे।

इस मामले में सेबी जनता के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए (जैसा कि वे दावा करते हैं) एमसीए से सम्पर्क कर सकता था अन्यथा लोगों के हित में (सेबी द्वारा किया गया कथित दावा) वह इस आदेश को एक पत्र के माध्यम से सीधे हमें दे सकता था। इसे सार्वजनिक करने के लिए अपनी वेबसाइट पर 34 पृष्ठ डालने का क्या औचित्य था? सम्मानित पाठकगण इन इरादों को स्पष्ट तौर पर समझ लेंगे।

सेबी ने हमें ऐसी विकट परिस्थिति में ला खड़ा किया है कि हम समूचे सहारा इंडिया परिवार के हित, छवि और साख के लिए विवश होकर उपरोक्त समस्त विवरण सामने ला रहे हैं।

स्रोतः वेबसाइट - **www.sahara.in**